रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 475] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 31, 1990/कार्तिक 9, 1912
No. 475] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 31, 1990/KARTIKA 9, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 1990

सा.का.नि. 875(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कांडला पत्तन न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस

अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में कांडला पोर्ट कर्मचारी (अवकाश) संशोधन विनियम, 1990 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम, इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. पी.आर.-12017/3/90-पी.ई.-I]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

अनुसूची

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 के अनुसरण में कांडला पोर्ट का न्यासी मंडल उक्त अधिनियम की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा कांडला पोर्ट कर्मचारी (अवकाश) विनियम 1964 में किये गये निम्नलिखित संशोधन विनियम प्रकाशित करता है, अर्थात्:—

(i) ये विनियम कांडला पोर्ट कर्मचारी (अवकाश) संशोधन विनियम, 1990 कहे जायेंगे।

(ii) विनियम 3 के उप विनियम (छ) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए:—

(छ) "स्थायी सेवारत कर्मचारी" से ऐसा कर्मचारी अभिप्रेत है जो किसी पद को स्थायी रूप से धारित करता हो अथवा जिसका किसी पद पर धारणाधिकार हो अथवा धारणाधिकार स्थगित न किया गया होता तो जिसका उस पद पर धारणाधिकार होता।

(iii) (1) विनियम 3 का उप विनियम (ज) हटा दिया जाए।

(2) उप विनियम (झ), (ञ) तथा (ट) को क्रमशः (ज), (झ) तथा (ञ) के रूप में पुनः अंकित किया जाए।

(iv) (1) विनियम 10 के उप विनियम (6) में से "और स्थायीवत्" शब्द हटा दिए जाएं।

(2) विनियम 10 के उप विनियम (7) में से "और स्थायीवत्" शब्द हटा दिए जाएं।

(v) विनियम 11 के द्वितीय परन्तुक में "स्थायीवत्" शब्द को "स्थायी" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाए

(vi) (1) विनियम 13(ख) में से "और ऐसा कर्मचारी जो स्थायीवत् नियोजन पर हो" शब्द हटा दिये जाएं।

(2) विनियम 13(ख) (vi) में से "अथवा स्थायीवत् कर्मचारी" शब्द हटा दिए जाएं।

(viii) विनियम 14(5)(v) में से "और स्थायीवत्" शब्द हटा दिए जाएं।

सचिव, कांडला पोर्ट, ट्रस्ट

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 1990

G.S.R. 875(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (i) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kandla Port Employees' (Leave) Amendment Regulations, 1990 made by the Board of Trustees for the Port of Kandla and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. PR-12017|3|90-PE. 1]
ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

SCHEDULE

In pursuance of Section 124 of Major Port Trusts Act, 1963 the Board of Trustees of the Port of Kandla hereby publishes the following amendment regulations made by it in exercise of the powers conferred by Section 28 of the said Act, to the Kandla Port Employees (Leave) Regulations, 1964 namely :—

I. These Regulations may be called the Kandla Port Employees (Leave) Amendment Regulations, 1990.

II. Sub-regulation (g) of Regulation 3 be substituted with the following :—

(g) "Employee in permanent service" means an employee who holds substantively a post or who holds a lien on a post or who would hold a lien on a post had the lien not been suspended.

III. (1) Sub-Regulation (h) of Regulation 3 be deleted.

(2) Sub-Regulation (i), (j) and (k) be re-numbered as (h), (i) and (j) respectively.

IV. (1) In sub-regulation (6) of Regulation 10 the words "and quasi-permanent" be deleted.

(2) In sub-regulation (7) of Regulation 10 the words "and quasi-permanent" be deleted.

V. In the second proviso to Regulation 11 for the words "quasi-permanent" the word "permanent" shall be substituted.

VI. (1) In regulation 13(b) the words "and an employee in quasi-permanent employee" be deleted.

(2) In regulation 13b(vi) the words "or quasi-permanent employee" shall be deleted.

VII. In regulation 14(5) (v) the words "and quasi-permanent" shall be deleted.

Secretary,
Kandla Port Trust

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990